



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052022-235658
CG-DL-E-09052022-235658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]
No. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड]
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 343(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 12 कख की उपधारा (3), धारा 35 की उपधारा (1) के पहले और पांचवे परंतुक और उपधारा (1क), धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।
- आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-II में, -

(छ) आयात प्रतिस्थापन के उत्पादों के ब्यौरे :		
क. सं.	उत्पाद का विवरण	आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार हुआ के बारे में संक्षिप्त विवरण";

(ड) पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी :-

"29	पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पूर्व के पिछले तीन वर्ष में प्राप्त आय जिसमें आवेदन किया गया है:							
	वित्तीय वर्ष	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त दान		अनुसंधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान		अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान	अन्य आय	कुल आय";
		समग्र निधि	गैर समग्र निधि	समग्र निधि	गैर समग्र निधि			

(च) उपाबंध अनुलग्नक में, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों "वित्त वर्ष _____ धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों,-

"क्या आप धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा कर रहे हैं? हां/नहीं

वित्त वर्ष. _____ धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत", को रखा जाएगा;

(छ) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पणी" शब्दों, अक्षरों और अंको को रखा जाएगा;

(ज) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पण"में,-

(I) खंड 5 में, उप-खंड i का लोप किया जायेगा;

(II) खंड 7 में, उप-खंड iii के पश्चात्, निम्न शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'टिप्पण: उपकरणों के विनिर्दिष्ट विवरण को अन्य आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से भरा जाना अपेक्षित है |';

(III) खंड 8 में, उप-खंड vi के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"vi. अन्य (कृपया संघ विनिर्दिष्ट करें);

(IV) खंड 12 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:

- जहाँ आवेदक को एक लिखत के अधीन गठित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहाँ आवेदक का गठन एक लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है, आवेदक सृजन, या स्थापना का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
- यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार या अन्य

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;

- जहां धारा 35के अधीन पिछला रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत कर दिया गया था, तो अस्वीकरण के आदेश की प्रति (यदि 5का उत्तर हां है)
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- धारा 35के अधीन अनुमोदन देने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
- अनुसंधान गतिविधियों पर व्यापक टिप्पण (यदि आवेदक द्वारा अनुसंधान गतिविधियां नहीं की गई है तो स्वसत्यापित शून्य घोषणा साथ लगाएं)
- आवेदक के गत तीन वर्षों के स्वसत्यापित लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रति-)यदि पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षित खाते नहीं हैं तो प्रत्येक वर्ष का अलग से शून्य स्व सत्यापित घोषणा लगाएं-
- दाताओं की स्वसत्यापित प्रति-, उनके नाम पूरे डाक पते के साथ तथा उनके द्वारा दी गई राशि जो आवेदक को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई है। किसी वित्त वर्ष में पचास हजार रूपए से अधिक की राशि दी गई है तो दाता के आधार या पैन का वर्णन करें। (यदि गत तीन वर्षों में कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है तो स्व सत्यापित शून्य घोषणा लगाएं)।”;

(झ) “धारा 10 (21) और इसके खंड 1 और 2 अधीन छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध भरने के निर्देश” के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“धारा 10 (21) के अधीन किसी भी छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध करने के लिए टिप्पण

- 1 “वित्त वर्ष. _____ धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत. _____” पंक्ति के स्थान पर, नए वित्त वर्ष का चयन करें जिसके लिए वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्ती वर्षों से लेखा बही की लेखापरीक्षा की गई है-, जिसमें कि आवेदन किया गया था।
- 2 पंक्ति 2 में निम्नलिखित “व्यक्ति” में से एक का चयन किया जाएगा:
 - (क) आवेदक का संस्थापक
 - (ख) कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक के लिए एक लाख रुपये से अधिक का अभिदाय है
 - (ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कोई भी सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है
 - (घ) आवेदक का प्रबंधक (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो)
 - (ङ) संस्थापक के एक संबंधी, प्रबंधक के सदस्य
 - (च) कोई समुत्थान जिसमें, क से ड तक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का सारवान् हित है।
- 3 पंक्ति 4 में यदि कोई लाभ निर्दिष्ट किया गया है, तो लाभ, सुविधा या अनुज्ञप्ति की प्रकृति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करें.”;

(ii) प्ररूप 10क में,-

(क) पंक्ति 2 के पश्चात, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी:-

“2क	उप-श्रेणी	
2ख	आपको पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> ”;

(ख) पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंतः स्थापित की जाएगी:-

“14क	कुल देनदारियां		”;
------	----------------	--	----

(ग) पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंतः स्थापित की जाएगी:-

“19ख	कुल आस्तियां		”;
------	--------------	--	----

(घ) “प्ररूप सं. 10क भरने के लिए निर्देश” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण” शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ड.) प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण में,-

(I) खंड (2) और इसकी पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रविष्टियाँ इसके अंतर्गत रखी जाएगी, अर्थात्:-

“2. धारा 12क/80छ/10(23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पंक्ति 2 में निम्न कोड में से किसी एक का चयन करें

1	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (कग) का उप खंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (कग) का उप खंड (vi)	02
3	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले आवेदकों के लिए	03
4	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले आवेदकों के लिए	04
5	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	05
6	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	06
7	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले आवेदकों के लिए	07
8	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले आवेदकों के लिए	08
9	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	09
10	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	10
11	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv)	12

धारा 35 के उप-धारा (1) के लिए पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्न कोडों में से किसी एक का चयन करें:

क्र.स.	श्रेणी	धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड		सेक्शन कोड
1	वैज्ञानिक अनुसन्धान	खंड (ii)	अनुसंधान संगम	13
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	14
		खंड (iia)	कंपनी	15

2	सामाजिक विज्ञान	खंड (iii)	अनुसंधान संगम	16
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	17
3	सांख्यिकी	खंड (iii)	अनुसंधान संगम	18
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	19

2क. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 14, 17 या 19 का चयन करता है, तो विकल्प "उप-श्रेणी" लागू होगा और निम्नलिखित उप-श्रेणी में से एक का चयन किया जाएगा:

क्र.स.	उप-श्रेणी
1.	विश्वविद्यालय
2.	महाविद्यालय
3.	अन्य संस्था";

(II) खंड 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"8. पंक्ति संख्या 9क के स्थान पर, स्तंभ "संबंध", में निम्नलिखित में से एक या अधिक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

- (क) लेखक
- (ख) संस्थापक
- (ग) विन्यासक
- (घ) न्यासी
- (ङ) समाज के सदस्य
- (च) शासी परिषद के सदस्य
- (छ) निदेशक
- (ज) शेयरधारिता में 5 प्रतिशत या अधिक धारण करने वाले शेयरधारक
- (झ) पदाधिकारी
- (ञ) मुख्य अधिकारी
- (ट) सत्यापन हेतु सक्षम व्यक्ति
- (ठ) मुख्य सचिव
- (ड) सचिव
- (ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (ण) मुख्य वित्त अधिकारी
- (त) प्रबंधक
- (थ) निर्धारिती
- (द) कोई अन्य मुख्य अधिकारी
- (ध) प्रबंध निदेशक
- (न) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता";

(III) खंड 11 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे:-

"11क. आवेदक के पास पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे।";

(IV) खंड 12 और पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“12 निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
01	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। <p>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)(यदि अंतिम किसी भी तीन वर्षों का संपरीक्षित वार्षिक लेखा नहीं है तब अलग से प्रत्येक वर्ष के लिए स्वप्रमाणित शून्य घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करें);</p>
02	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां • जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारगर उपक्रम किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे

	<p>कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44 कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आवेदन के अस्वीकृत आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
03/04/05/06	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
07/08/09/10	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां • धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
11	<ul style="list-style-type: none"> • जहां लिखत के अधीन आवेदक निर्मित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां लिखत के अन्यथा आवेदक निर्मित किया गया है, या स्थापित किया गया है, आवेदक के निर्माण,

	<p>या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;</p> <ul style="list-style-type: none"> • यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो; • विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। <p>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; <p>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
13-19	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
1,3,4,5,6, 11	<ul style="list-style-type: none"> • स्वप्रमाणित शपथपत्र जहां आवेदक पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं रखता है”;

(iii) प्ररूप सं. 10 कख में , -

(क) पंक्ति 9क के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

"9ख	यदि (पंक्ति 9क में यथा उल्लिखित) व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एक व्यष्टि नहीं है तो प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के फायदाग्राही स्वामी (5 प्रतिशत या अधिक) हैं:						
	क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	गैर व्यष्टि व्यक्ति (जैसा की पंक्ति 9क में वर्णित है) जिसमें हितकारी स्वामित्व है	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत";

(ख) पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"20क	कुल देनदारियां	
------	----------------	--

(ग) पंक्ति 25 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"25क	कुल परिसंपत्तियां	
------	-------------------	--

(घ) पंक्ति 26 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

"26	पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय, जिसमें आवेदन किया गया है :					
	पूर्व वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल";

(ड) प्ररूप सं. 10कख भरने के निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण" शब्दों, अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) प्ररूप सं. 10खघ में,-

(क) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“भाग ख

दानदाताओं और दान का विवरण

क्रम सं.	पूर्व पावती सं.	दाता की विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	अनुभाग कोड	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या (यू आर एन)	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या जारी करने की तारीख	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार	प्राप्ति की पद्धति	दान की रकम (भारतीय रुपए में)
----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	--------------------------------------	---	-------------	-------------	---------------	--------------------	------------------------------

में, _____ पुत्र / पुत्री _____ पूरी तरह से घोषणा करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है।

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि मैं इस प्रमाणपत्र को _____ के रूप में मेरी क्षमता में बनाना और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्या _____ यह है।

हस्ताक्षर”;

(ख) प्ररूप सं. 10खघ भरने के निर्देश" शब्दों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10खघ भरने के लिए टिप्पण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(v) प्ररूप सं. 10खड के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप स. 10खड.

(नियम 18कख देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन और धारा 35 की उपधारा (1क) को खंड

(ii) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

	पावती स.	क	ख	ग	घ	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1
आदाता	1 रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च					
	2 रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम															
	3 रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता															
	4 विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यू आर एन)															
	5 विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करने की तारीख															
दानदाताओं और दान का विवरण	6 विशिष्ट पहचान संख्या	पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च				
		आधार														
		अन्य														
	7 दाता का नाम															
	8 दाता का पता															
	9 प्राप्त दान की रकम															
	10 वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ था															
	11 दान का प्रकार	कोर <input type="checkbox"/>	विनिर्दिष्ट अनुदान <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>												
12 वह धारा, जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	धारा 80छ(5)(vi) <input type="checkbox"/>	धारा 35(1)(ii) <input type="checkbox"/>	धारा 35(1)(iiक) <input type="checkbox"/>	धारा 35(1)(iii) <input type="checkbox"/>												

सत्यापन

मैं , पुत्र/पुत्री , सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर

अधिनियम, 1961 के अनुसार के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्रमाणपत्र को के रूप में अपनी हैसियत से बना रहा हूँ और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या धारण कर रहा हूँ।

तारीख : .

हस्ताक्षर :”;

[अधिसूचना संख्या 51/2022 / फाईल सं. 370142/4/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.341(अ) तारीख 6 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10, ninth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clauses (i) (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, sub-section (3) of section 12AB, first and fifth proviso to sub-section (1) sub-section (1A) of section 35, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G, third proviso to sub-section (5) of section 80G, clauses (viii) and (ix) of sub-section (5) of section 80G, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Income-tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962 in the APPENDIX-II, -

(i) In FORM No. 3CF, -

(a) for row 6b, the following row shall be substituted, namely: -

“6b In case if any of persons (as mentioned in row 6a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:						
S. No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Person other than individual (as mentioned in row 6a) in which the beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership”;

(b) for row 7, the following row shall be substituted, namely: -

“7	Details of laboratory/research facility/ university/college/other institution being managed/controlled/administered/owned by the applicant
----	--

(e) Details of improvements made in the existing products, processes, methods and techniques:							
S.No.	Category Existing product/ process/ method/ technique	Title	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant organisation	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings till date of application (Rs.)
(f) Details of new theories, models and hypothesis developed:							
S.No.	Category: New theories / models / hypothesis	Title	Description	Name(s) of the Authors(s)	Association of the Authors(s) with the Applicant organisation	Whether the theory or hypothesis is widely accepted.	Earnings till date of application (Rs.)
(g) Details of Products of Import Substitution:							
S.No.	Description of the Product		Brief Description on How it Resulted in Import Substitution”;				

(e) for row 29, the following row shall be substituted, namely: -

“29	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:							
	Financial Year	Donations Received for Research Purposes		Donation Received for purposes other than research		Grant Received for research purposes	Other income	Total Income ”, ,
		Corpus	Non Corpus	Corpus	Non Corpus			

(f) in the Annexure, for the words, brackets and figures “To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year. _____” the words, brackets and figures

“Whether you are claiming exemption under section 10(21)? Yes /No

To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year. _____” shall be substituted;

(g) for the words figure and letters “Instructions to fill Form No. 3CF”, the words, figure and letters “Notes to fill Form No. 3CF” shall be substituted;

(h) in the “Notes to fill Form No. 3CF”,-

(I) in clause 5, sub-clause i shall be omitted;

(II) in clause 7, after sub-clause iii, the following words, shall be inserted, namely:-

‘Note: Specific details of equipment is required to be mandatorily filled in case of Other assets. ’;

(III) in clause 8, for sub-clause vi, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“vi. Others (Please Specify the association)”;

(IV) for clause 12, the following clause shall be substituted, namely:-

“12. The following documents are required to be attached:

- where the applicant is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;
- where the applicant is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
- self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
- where past registration under section 35 was rejected, then copy of order of rejection (if answer to 5 is yes)

- self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, if the applicant is registered under the said Act;
- self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35;
- a comprehensive note on research activities undertaken by the applicant (If there are no research activities undertaken by the applicant then attach self-certified NIL declaration);
- self-certified copy of audited annual accounts of the applicant for the last three years (If there is no audited annual accounts of the applicant for any of the last three years then attach self-certified NIL declaration for each year separately);
- self-certified copy of Donors, along with their names, complete postal address and the amount paid by each of them to the applicant during last three years. Mention PAN or aadhar of donors paying the sums in excess of fifty thousand rupees in any of the three financial years (If there is no donation received during the last three years then attach self-certified NIL declaration).”;

(i) for the “Instructions to fill Annexure in case claiming exemption 10 (21) and clauses 1 and 2 thereunder”, the the following shall be substituted, namely:-

“Notes to fill Annexure in the case of claiming any exemption under section 10 (21)

1. For the row “To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year. _____”, select the latest Financial Year for which the books of accounts had been audited out of three preceding financial Years immediately preceding the Financial Year in which application is made.
2. In row 2 in “Person” one of the following shall be selected :
 - (a) Founder of applicant
 - (b) Any person who has made contribution exceeding rupees one lakh to the applicant
 - (c) Any member of a Hindu undivided family (HUF) where the HUF is a founder
 - (d) The manager (by whatever name called) of the applicant
 - (e) A relative of the founder, member of the manager
 - (f) Any concern in which any of the persons referred to in a-e have a substantial interest.
3. In row 4 if any benefit has been specified, provide a detailed statement of the nature of the benefit, amenity or perquisite.”;

(ii) in Form 10A,-

(a) after row 2, the following rows shall be inserted, namely:-

“2a.	Sub-Category	
2b.	Has any registration/approval certificate been issued to you earlier?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ”;

(b) after row 14, the following row shall be inserted, namely:-

“14a.	Total Liabilities	<input type="text"/>	”;
-------	-------------------	----------------------	----

(c) after row 19, the following row shall be inserted, namely:-

“19a	Total Assets	<input type="text"/>	”;
------	--------------	----------------------	----

(d) for the words, figures and letter “Instructions to fill Form No. 10A”, the words, figures and letter “ Notes to fill Form No. 10A” shall be substituted;

(e) in the “Notes to fill Form No. 10A”,-

(I) for clause (2) and rows thereunder, the following clauses and entries thereunder shall be substituted, namely:-

“2. Application for registration under section 12A/80G/10(23C) select one of the following code in row 2:

1.	Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2.	Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	03
4.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	04
5.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	05
6.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	06
7.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	07
8.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	08
9.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 1	09
10.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	10
11.	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12.	Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12

Application for intimation under Fifth proviso to sub-section (1) of section 35, select one of the following codes in row 2:

Sr.No	Category	Relevant clause of sub-section (1) of section 35		Section Code
1.	Scientific Research	Clause (ii)	Research Association	13
			University, college or other institution	14
		Clause(iia)	Company	15
2.	Social Science Research	Clause(iii)	Research Association	16
			University, college or other institution	17
3.	Statistical Research	Clause(iii)	Research Association	18
			University, college or other institution	19

2a. If applicant selects code 14, 17 or 19 in row 2, then option “sub-category” shall be applicable and one of the following sub-category shall be selected:

Sr.No.	Sub-Category
1.	University
2.	College
3.	Other Institution”;

(II) for clause 8 and entries thereunder, the following clause and entries shall be substituted, namely:-

“8. For row number 9a, column “Relation”, one or more of the following shall be substituted, namely:-

- a. Author
- b. Founder
- c. Settlor
- d. Trustee
- e. Members of society
- f. Members of the Governing Council
- g. Director
- h. Shareholders holding 5per cent. or more of shareholding

- i. Office Bearer
- j. Principal Officer
- k. Person Competent to verify
- l. Principal Secretary
- m. Secretary
- n. Chief Executive Officer
- o. Chief Financial Officer
- p. Manager
- q. Representative Assessee
- r. Any other Principal Officer
- s. Managing director
- t. Authorised signatory”;

(III) after clause 11 , the following clause shall be inserted, namely:-

“11A. If applicant does not have registration/approval certificate issued earlier, then submit an affidavit to that effect.”;

(IV) for clause 12 and rows thereunder, the following clause and rows shall be substituted, namely:-

“12 The following documents are required to be attached_

Section code	Documents required to be attached
01	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; • self-certified copy of existing order granting registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be. <p>where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up(to be provided if answer to row 10 is “No”). (If there is no audited annual accounts of the applicant for any of the last three years then attach self-certified NIL declaration for each year separately);</p>
02	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up; • where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self- certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period; • self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be, if any;
03/04/05/06	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; • self-certified copy of existing order granting registration under clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act. • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the

	application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is “No”).
07/08/09/10	<ul style="list-style-type: none"> where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up; self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 10(23C), if any;
11	<ul style="list-style-type: none"> where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; self-certified copy of existing order granting registration under section 80G of the Income-tax Act. <p>where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is “No”).</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the trust is created, or the institution is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation of the trust, or establishment of the institution; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; <p>where the applicant or the institution has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;</p> <ul style="list-style-type: none"> self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 80G, if any;
13-19	<ul style="list-style-type: none"> where the reporting person is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the reporting person is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the reporting person; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.
1,3,4,5,6,11	<ul style="list-style-type: none"> Self-certified Affidavit where the applicant does not have earlier issued registration or approval certificate. ”;

(iii) in FORM No. 10AB, -

(a) for row 9b, the following row shall be substituted, namely:-

“9b.	In case if any of persons (as mentioned in row 9a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5 per cent. or more) of such person as on the date of application:						
	S.No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Non-Individual person(as mentioned in row 9a) in which the beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership”;

(b) after row 20, the following row shall be inserted, namely:-

“20a	Total Liabilities	<input type="text"/>	”;
------	-------------------	----------------------	----

(c) after row 25, the following row shall be inserted, namely:-

“25a	Total Assets	_____	”;
------	--------------	-------	----

(d) for row 26, the following row shall be substituted, namely:-

“26.	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:					
Previous Year	Grants received from Central or State Government	Grants received from Companies under Corporate Social Responsibility	Other Specific Grants	Other income	Total”;	

(e) for the words, figures and letters “ Instructions to fill Form No. 10AB”, the words, figures and letters “ Notes to fill Form No. 10AB” shall be substituted;

(iv) in FORM No. 10BD,-

a. for Part B, the following shall be substituted, namely:-

**“Part B
Details of the donors and donations**

Sl. No.	Pre Acknowledgement No.'s	Unique Identification Number of the donor	ID code	Section code	Unique Registration Number (URN)	Date of Issuance of Unique Registration Number	Name of donor	Address of donor	Donation Type	Mode of receipt	Amount of donation (Indian rupees)

I _____,son/daughter of _____,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the particulars submitted, made at any time hereafter.I further declare that I am filing this form in my capacity as _____(designation)having Permanent Account Number (PAN)_____and that I am competent to file this form and verify it.

Signature”;

b. for the words “ Instructions to fill this form”, the words, figures and letters “ Notes to fill Form No. 10BD” shall be substituted;

(v) for FORM No. 10BE, the following FORM shall be substituted, namely:-

“ FORM No. 10BE

(See rule 18AB)

Certificate of donation under clause (ix) of sub-section (5) of section 80G and under clause (ii) of sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

		Acknowledgement Number	A B C D 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Donee	1	PAN of the reporting person	A B C D E 1 2 3 4 F
	2	Name of the reporting person	
	3	Address of the reporting person	
	4	Unique Registration Number (URN)	

Donor and donations	5	Date of Issue of Unique Registration Number	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																
	6	Unique Identification Number	PAN	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												A	B	C	D	E	1	2	3	4	F										
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F																									
			Aadhaar	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																															
			Other	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																															
7	Name of Donor																																		
8	Address of Donor																																		
9	Amount of donation received																																		
10	Financial year in which such donation was received																																		
11	Type of donation	Corpus <input type="checkbox"/> Specific grants <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>																																	
12	Section under which donation is eligible for deduction	Section 80G(5)(vi) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(ii) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(ia) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(iii) <input type="checkbox"/>																																	

VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the certificate is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this certificate in my capacity as _____ and I am also competent to issue this certificate. I am holding permanent account number _____.

Date:

Signature:.....”.

[Notification No. 51/2022/ F. No. 370142/4/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R 341(E), dated the 6th May, 2022